भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 208

दिनांक 19 **जुलाई**, 2021

पेट्रोलियम उत्पादों को जी.एस.टी. के अंदर शामिल करना

208. **श्री बी. मणिक्कम टैगोर:**
श्री के. मुरलीधरन:
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
एडवोकेट अदूर प्रकाश:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:
श्री वी.के. श्रीकंदन :
श्री एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्री दीपक बैज:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री पार्थिबन एस.आर.:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
प्रो. सौगत राय:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री हिबी ईडन:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पेट्रोल की कीमत निर्धारित करने के लिए कौन सा प्राधिकारी उत्तरदायी है तथा देश में विभिन्न राज्यों में पेट्रोल की भिन्न-भिन्न दरें होने के क्या कारण हैं;

(ख) देश में क्रूड ऑयल का वर्तमान मूल्य क्या है तथा गत एक वर्ष के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कितनी बार बढ़ी हैं तथा राज्य-वार नागरिकों द्वारा पेट्रोल/डीज़ल/एलपीजी पर कितना अतिरिक्त व्यय किया गया है। इसमें अप्रत्याशित वृद्धि के क्या कारण है तथा जीडीपी के संदर्भ में उपभोक्ताओं पर इसके क्या प्रभाव हैं;

(ग) क्या मौजूदा उच्च स्फीति दर के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें उत्तरदायी हैं और यदि हां, तो इस महामारी काल के दौरान ईंधन की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका में पेट्रोल और डीज़ल की भारतीय मुद्रा में कीमत कितनी है तथा भारत में पेट्रोल/डीज़ल की उच्च कीमत के क्या कारण हैं;

(ड.) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्षके दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का प्रति बैरल औसत दर और पेट्रोल का बिक्री मूल्य कितना है तथा उक्त अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल/डीज़ल की कम दर के कारण तेल विपणन कंपनियों के निवल लाभ का वर्ष-वार और माह-वार ब्यौरा क्या है तथा तेल विपणन कंपनियों द्वारा तेल की कीमत बढ़ाने का आधार क्या है और क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत में कमी आने से खुदरा उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया गया है;

(च) वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम, द्वितीय और तृतीय तिमाही में पेट्रोल/डीजल/एलपीजी की प्रति लीटर पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितना कर प्रभारित किया गया तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति माह डीलरों को पेट्रोल/डीज़ल की बिक्री से संग्रहित/अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान कर से कितनी राशि प्राप्त हुई है और अर्जित धन का उपयोग कहां किया गया है और क्या उक्त पदार्थों की कीमत में वृद्धि से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति हो रही है;

(छ) क्या डीज़ल/पेट्रोल की कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार की पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की कोई योजना है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पहल का विरोध करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या मंत्रालय का पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) से (च): पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को क्रमश: दिनांक 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार निर्धारित बना दिया गया है। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों तथा अन्य बाजार दशाओं के आधार पर पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं। ओएमसीज ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा रूपया डॉलर विनिमय दर में परिवर्तनों के अनुरूप बढ़ाया और घटाया है। दिनांक 16 जून, 2017 से पेट्रोल और डीज़ल के दैनिक मूल्य निर्धारण को पूरे देश में कार्यान्वित कर दिया गया है। पूरे देश के राज्यों में पेट्रोल के मूल्य भाड़ा दरों, वैट/स्थानीय उगाहियों के कारण अलग-अलग हैं।

अप्रैल, 2018 से कच्चे तेल की भारतीय बास्केट का औसत मासिक मूल्य अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

दिल्ली में दिनांक 1 जुलाई, 2020 से 9 जुलाई, 2021 तक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के मूल्यों में कितनी बार परिवर्तन किया गया, इसके ब्यौरे अनुलग्नक-2 में दिए गए हैं।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर उनके प्रभाव में देखा जा सकता है। डब्ल्यूपीआई सूचकांक में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का भारांक क्रमश: 1.60%, 3.10% और 0.64% है।

पिछले तीन वर्षों के लिए सभी कार्यकलापों से तेल विपणन कंमनियों का स्टैंडअलोन करोपरांत लाभ निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

कंमनियां	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
आईओसीएल	16,894	1,313	21,836
बीपीसीएल	7,132	2,683	19,042
एचपीसीएल	6,029	2,637	10,664

पिछले तीन वर्षों में पेट्रोल और डीजल पर उप करों सहित कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क के ब्यौरे और पेट्रोलियम उत्पादों से एकत्रित किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के ब्यौरे अनुलग्नक-3 में दिए गए हैं।

दिनांक 1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल और डीजल पर वैट की राज्य-वार वास्तविक दरें अनुलग्नक-4 में दी गई हैं।

देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। आम तौर पर देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य मौजूदा कर व्यवस्था तथा संबंधित सरकारों द्वारा राजसहायता संबंधी प्रतिपूर्ति सहित अनेक घटकों के कारण अन्य देशों की तुलना में अधिक/कम हैं, जिसके ब्यौरे सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।
(छ) और (ज) संविधान के अनुच्छेद 279 ए 5) में निर्धारित किया गया है कि माल और सेवा कर परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिससे पेटोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (आमतौर पर इसे पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर माल और सेवा कर की उगाही की जाएगी, इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार इन उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश अपेिक्षत होगी। अभी तक जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को जीएसटी में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है। वर्तमान में इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"पेट्रोलियम उत्पादों को जी.एस.टी. के अंदर शामिल करने" के संबंध में दिनांक 19 जुलाई, 2021 को श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री के. मुरलीधरन, श्री कृपाल बालाजी तुमाने, एडवोकेट अदूर प्रकाश, श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन', श्री ओम पवन राजेनिंबालकर, श्री वी.के. श्रीकंदन, श्री एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री दीपक बैज, श्री भर्तृहरि महताब, श्री कुलदीप राय शर्मा, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री पार्थिबन एस.आर, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, प्रो. सौगत राय, डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्री हिबी ईडन, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 208 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

अप्रैल 2018 से कच्चे तेल की भारतीय बास्केट का औसत मासिक मूल्य

माह	कच्चे तेल की भारतीय बॉस्केट (डालर/प्रति बैरल)
अप्रैल -18	69.22
मई -18	75.25
जून -18	73.83
जुलाई -18	73.47
अगस्त -18	72.53
सितम्बर -18	77.88
अक्तूबर -18	80.08
नवम्बर-18	65.40
दिसम्बर-18	57.77
जनवरी-19	59.27
फरवरी -19	64.53
मार्च -19	66.74
अप्रैल -19	71.00
मई -19	70.01
जून -19	62.37
जुलाई -19	63.63
अगस्त -19	59.35
सितम्बर -19	61.72
अक्तूबर-19	59.70
नवम्बर -19	62.53
दिसम्बर -19	65.50
जनवरी -20	64.31
फरवरी -20	54.63
मार्च -20	33.36
अप्रैल -20	19.90
मई -20	30.61
जून 20	40.63
जुलाई -20	43.35
अगस्त-20	44.19
सितम्बर-20	41.35
अक्तूबर-20	40.66
नवम्बर -20	43.34
दिसम्बर -20	49.84
जनवरी -21	54.79
फरवरी -21	61.22
मार्च -21	64.73
अप्रैल -21	63.40
मई -21	66.95
जून 21	71.98
जुलाई -21 (11 जुलाई तक)	74.34

जुलाई कच्चे तेल की भारतीय बॉस्केट में भारतीय रिफाइनरियों में संसाधित कच्चे तेल की सोर ग्रेड (ओमान व दूबई औसत) तथा स्वीड ग्रेड (ब्रेंट डेटेड) से प्राप्त बॉस्केट को दर्शाता है।

"पेट्रोलियम उत्पादों को जी.एस.टी. के अंदर शामिल करने" के संबंध में दिनांक 19 **जुलाई,** 2021 **को श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री के. मुरलीधरन, श्री कृपाल बालाजी तुमाने, एडवोकेट अदूर प्रकाश, श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन', श्री ओम पवन राजेनिंबालकर, श्री वी.के. श्रीकंदन, श्री एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री दीपक बैज, श्री भर्तृहरि महताब, श्री कुलदीप राय शर्मा, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री पार्थिबन एस.आर, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, प्रो. सौगत राय, डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्री हिबी ईडन, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 208 **के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।**

2018-19

ब्यौरे	**पेट्रोल**	**डीजल**
वृद्धि	148	140
कमी	112	118
कोई परिवर्तन नहीं	105	107
योग	**365**	**365**

2019-20

ब्यौरे	**पेट्रोल**	**डीजल**
वृद्धि	89	79
कमी	124	119
कोई परिवर्तन नहीं	153	168
योग	**366**	**366**

2020-21

ब्यौरे	**पेट्रोल**	**डीजल**
वृद्धि	76	73
कमी	10	24
कोई परिवर्तन नहीं	279	268
योग	**365**	**365**

2021-22

ब्यौरे	**पेट्रोल**	**डीजल**
वृद्धि	39	36
कमी	1	2
कोई परिवर्तन नहीं	64	66
योग	**104**	**104**

*2021-22 से संबंधित आंकड़े 13-जुलाई-21 तक के हैं

दिल्ली में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में घरेलू एलपीजी (गैर-राजसहायता प्राप्त) की कीमतों में कितनी बार बदलाव किया गया है, इसका विवरण नीचे दिया गया है:

	वृद्धि	कमी
2018-19	8	5
2019-20	9	3
2020-21	8	2
2021-22 (01 जुलाई तक)	1	1

"पेट्रोलियम उत्पादों को जी.एस.टी. के अंदर शामिल करने" के संबंध में दिनांक 19 **जुलाई,** 2021 **को श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री के. मुरलीधरन, श्री कृपाल बालाजी तुमाने, एडवोकेट अदूर प्रकाश, श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन', श्री ओम पवन राजेनिंबालकर, श्री वी.के. श्रीकंदन, श्री एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री दीपक बैज, श्री भर्तृहरि महताब, श्री कुलदीप राय शर्मा, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री पार्थिबन एस.आर, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, प्रो. सौगत राय, डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्री हिबी ईडन, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 208 **के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।**

अवधि	**कुल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (रु./लीटर)**			
	पेट्रोल (गैर ब्रांडेड)	**पेट्रोल (ब्रांडेड)**	**डीजल (गैर ब्रांडेड)**	**डीजल (ब्रांडेड)**
04.10.2017 से प्रभावी	19.48	20.66	15.33	17.69
02.02.2018 से प्रभावी	19.48	20.66	15.33	17.69
05.10.2018 से प्रभावी	17.98	19.16	13.83	16.19
06.07.2019 से प्रभावी	19.98	21.16	15.83	18.19
14.03.2020 से प्रभावी	22.98	24.16	18.83	21.19
06.05.2020 से प्रभावी	32.98	34.16	31.83	34.19
02.02.2021 से प्रभावी	32.90	34.10	31.80	34.20

पेट्रोंलियम उत्पादें से एकत्रित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के ब्यौरे निम्नवत हैं:

मद	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
पेट्रोल	68929	66279	101598
डीजल	144471	112032	233296
एटीएफ	2540	1461	779
प्राकृतिक गैस	1547	1573	1195
कच्चे तेल पर उप कर	17814	16500	7877
योग	**235301**	**197845**	**344746**

"पेट्रोलियम उत्पादों को जी.एस.टी. के अंदर शामिल करने" के संबंध में दिनांक 19 **जुलाई,** 2021 **को श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री के. मुरलीधरन, श्री कृपाल बालाजी तुमाने, एडवोकेट अदूर प्रकाश, श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन', श्री ओम पवन राजेनिंबालकर, श्री वी.के. श्रीकंदन, श्री एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री दीपक बैज, श्री भर्तृहरि महताब, श्री कुलदीप राय शर्मा, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री पार्थिबन एस.आर, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, प्रो. सौगत राय, डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्री हिबी ईडन, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 208 **के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।**

01.04.21 **की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा वसूले जाने वाले बिक्री कर/वैट की वास्तविक दरों का ब्यौरा**

क्रमांक	राज्य	पेट्रोल	डीजल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6%	6%
2	आं प्रदेश	31% वैट + रु 4/लीटर वैट + रु 1/लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट	22.25% वैट + रु 4/लीटर वैट + रु 1/लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट
3	अ णाचल प्रदेश	20.00%	12.50%
4	असम	32.66% या रु.22.63 प्रति ली. जो भी वैट रूप में अधिक तथा 5 रुपए प्रति लीटर की छूट घटाएं	23.66% या रु 17.45 प्रति लीटर जो भी वैट रूप में अधिक तथा 5 रुपए प्रति लीटर की छूट घटाएं
5	बिहार	26% या रु 16.65 / लीटर जो भी अधिक (अपरिवर्तनीय कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार)	19% या 12.33 / लीटर जो भी अधिक (अपरिवर्तनीय कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार)
6	चंडीगढ़	रु.10/केएल उप कर+22.45% या रु.12.58/ली जो भी अधिक	रु.10/केएल उप कर+14.02% या रु.7.63/ली जो भी अधिक
7	छत्तीसगढ़	25% वैट + रु 2 / लीटर वैट	25% वैट + 1 / लीटर वैट
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	20% वैट	20% वैट
9	दिल्ली	30% वैट	रु 250/ केएल एयर एंबियंस शुल्क + 16.75% वैट
10	गोवा	27% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर	23% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर
11	गुजरात	20.1% वैट + वैट और टाउन रेट पर 4% उप कर	20.2% वैट + वैट और टाउन रेट पर 4% उप कर
12	हरियाणा	25% या रु. 15.62 / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर	16.40% वैट या रु 10.08 / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर
13	हिमाचल प्रदेश	25% या 15.50 / लीटर - जो भी अधिक हो	14% या रु 9 / लीटर - जो भी अधिक हो
14	जम्मू और कश्मीर	24% एमएसटी + 5 रु / लीटर रोजगार उप कर, रु 0.50 / लीटर की कमी	16% एमएसटी + रु 1.50 / लीटर रोजगार उप कर
15	झारखंड	बिक्री मूल्य पर 22% या रु 17.00 प्रति लीटर, जो कभी भी अधिक है + 1.00 रुपये प्रति लीटर उप कर	बिक्री मूल्य पर 22% या रु 12.50 प्रति लीटर, जो कभी भी अधिक है + उप कर 1.00 रुपये प्रति लीटर
16	कर्नाटक	35% बिक्री कर	24% बिक्री कर
17	केरल	30.08% बिक्री कर + रु 1/ लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर	22.76% बिक्री कर + रु 1/ लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर
18	ल ाख	24%एमएसटी+रु 5/लीटर रोजगार उप कर, रु2.5/लीटर छूट	16% एमएसटी+रु 1/लीटर रोजगार उप कर, रु 0.50/ली. छूट
19	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
20	म य प्रदेश	33% वैट + रु 4.5 / लीटर वैट + 1% उप कर	23% वैट + रु 3/ लीटर वैट + 1% उप कर
21	महाराष्ट्र - मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई	26% वैट + रु. 10.12 / लीटर अतिरिक्त कर	24% वैट + रु 3.00 / लीटर अतिरिक्त कर
22	महाराष्ट्र (शेष राज्य)	25% वैट + रु. 10.12 / लीटर अतिरिक्त कर	21% वैट + रु 3.00 / लीटर अतिरिक्त कर
23	म णपुर	36.50% वैट	22.50% वैट
24	मेघालय	20% या रु 15.00 / लीटर – जो भी अधिक हो (0.10/लीटर प्रदुषण अधिभार)	12% या 9 रुपए /लीटर - जो भी अधिक हो (0.10/लीटर प्रदुषण अधिभार)
25	मिजोरम	25% वैट	14.5% वैट
26	नागालैंड	25% वैट या रु 16.04/लीटर जो भी अधिक हो + 5% अधिभार + रु 2.00/लीटर सड़क रखरखाव उप कर के रूप में	16.50% वैट या रु 10.51/लीटर जो भी अधिक हो + 5% अधिभार + रु .2.00/लीटर सड़क रखरखाव उप कर के रूप में

27	ओ डशा	32% वैट	28% वैट
28	पुदुच्चेरी	26% वैट	17.75% वैट
29	पंजाब	रु. 2050/केएल (उप कर) + रु 0.10 प्रति लीटर (शहरी परिवहन निधि)+24.79% वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर	रु 1050/केएल (उप कर) + रु 0.10 प्रति लीटर (शहरी परिवहन निधि)+15.94% वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर
30	राजस्थान	36% वैट + 1500 / केएल सड़क विकास उप कर	26% वैट + रु. 1750 / केएल सड़क विकास उप कर
31	सिक्किम	25.25% वैट + रु 3000 / केएल उपकर	14.75% वैट + रु. 2500 / केएल उपकर
32	तमिलनाडु	15% + रु. 13.02 प्रति लीटर	11% + रु. 9.62 प्रति लीटर
33	तेलंगाना	35.20% वैट	27% वैट
34	त्रिपुरा	25% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर	16.50% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर
35	उत्तर प्रदेश	26.80% या 18.74 / लीटर जो भी अधिक हो	17.48% या 10.41 / लीटर जो भी अधिक हो
36	उत्तराखंड	25% या 19 रुपये प्रति लीटर जो भी अधिक हो	17.48% या रु 10.41 प्रति लीटर जो भी अधिक हो
37	प चिम बंगाल	25% या रु.13.12/लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक है +1000/केएल उप कर - रु 17 /केएल की छूट (अपरिवर्तनीय कर के रूप में 20% अतिरिक्त कर)	17% या रु. 7.70/लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक है + रु 1000/केएल बिक्री कर छूट (अपरिवर्तनीय कर के रूप में 20% अतिरिक्त कर)
स्रोत : (आईओसीएल/एचपीसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों के अनुसार)			